



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20062026-273686  
CG-MH-E-20062026-273686

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 447]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

रेल मंत्रालय  
(पश्चिम रेलवे)  
अधिसूचना

मुम्बई, 18 जून, 2026

सा.का.नि. 498(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम 2008 के रूप में संदर्भित) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने के बाद कि लोक प्रयोजन के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में मियागाम – करजन –लाकोदरा फ्लाईओवर कनेक्शन लाइन परियोजना.

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उप-धारा (I) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी नामत प्रांत अधिकारी, करजन, तालुका सेवासदन करजन, NH-48 के पास, करजन, जिला वडोदरा को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और कर सकता है। ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने

के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों की अनुमति दें या अस्वीकार करें;

उक्त अधिनियम की धारा 20 (डी) की उप-धारा (II) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के तहत कवर की गई भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

#### अनुसूची

विषय: गुजरात राज्य में मियागाम – करजन – लाकोदरा फ्लाइओवर कनेक्शन लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहण की जानीवाली सरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : गुजरात

जिला : वडोदरा

क्रमांक	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
गाँव: लाकोदरा		तालुका: करजन		
1	800/A (800/1, 800/2, 800/3)	निजी	कृषि	1845
2	244 (244/p1, 244/p2, 244/p3)	निजी	कृषि	2860
3	369	निजी	कृषि	8000
कुल (वर्गमीटर)				12705
गाँव: वडवा		तालुका: करजन		
1	144	निजी	कृषि	5622
2	145	निजी	कृषि	2260
3	143	निजी	कृषि	12537
4	131	निजी	कृषि	11334
5	129	निजी	कृषि	4729
6	132	निजी	कृषि	2912
7	219	निजी	कृषि	731
8	99	निजी	कृषि	2790
9	90	निजी	कृषि	2790
10	91 (91/1, 91/2)	निजी	कृषि	2790
11	69	निजी	कृषि	4864
12	68	निजी	कृषि	4801
13	56	निजी	कृषि	2555
14	54	निजी	कृषि	682
15	133 (133/A)	निजी	कृषि	12014
16	98	निजी	कृषि	4428

17	216	निजी	कृषि	3761
18	223	निजी	कृषि	688
19	100	निजी	कृषि	1239
20	141	निजी	कृषि	1590
<b>कुल (वर्गमीटर)</b>				<b>85117</b>

[फा. सं. E-Office E-590831-06]

तरुण डंडोतिया, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-II

**MINISTRY OF RAILWAYS****(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 18th June, 2026

**G.S.R. 498(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act 2008), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Miyagam Karjan – Lakodara flyover connection line Project in District Vadodara in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Karjan, Taluka Seva sadan Near NH-48, Taluka Karjan, District Vadodara, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project, namely: Miyagam Karjan – Lakodara flyover Connection Line Projects in District Vadodara in the State of Gujarat.**

State: Gujarat

District: Vadodara

Sr. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of land to be acquired (in H.Are.Sqm.)
<b>Village: Lakodara</b>		<b>Taluka: karjan</b>		
1	800/A (800/1, 800/2, 800/3)	Private	Agriculture	1845
2	244 (244/p1, 244/p2, 244/p3)	Private	Agriculture	2860
3	369	Private	Agriculture	8000
<b>Total Sqm</b>				<b>12705</b>
<b>Village: Vadva</b>		<b>Taluka: karjan</b>		
1	144	Private	Agriculture	5622

2	145	Private	Agriculture	2260
3	143	Private	Agriculture	12537
4	131	Private	Agriculture	11334
5	129	Private	Agriculture	4729
6	132	Private	Agriculture	2912
7	219	Private	Agriculture	731
8	99	Private	Agriculture	2790
9	90	Private	Agriculture	2790
10	91 (91/1, 91/2)	Private	Agriculture	2790
11	69	Private	Agriculture	4864
12	68	Private	Agriculture	4801
13	56	Private	Agriculture	2555
14	54	Private	Agriculture	682
15	133 (133/A)	Private	Agriculture	12014
16	98	Private	Agriculture	4428
17	216	Private	Agriculture	3761
18	223	Private	Agriculture	688
19	100	Private	Agriculture	1239
20	141	Private	Agriculture	1590
<b>Total Sqm</b>				<b>85117</b>

[F. No E-Office E-590831-06]

TARUN DANDOTIYA, Chief Engineer (C) – II